किए गए हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के मध्य प्रदेश संवर्ग की अंतिम संवर्ग समीक्षा 27.4.1992 और भारतीय पुलिस सेवा संगत की समीक्षा 14.5.1992 को अधिसूचित की गई थी। संवर्ग नियमों के अन्तर्गत, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा की संवर्ग समीक्षाएं पांच वर्ष के पश्चात् अर्थात् 1997 में होनी थी।

(घ) 31.3.1995 से भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के सभी राज्य संवर्गों के संबंध में अवकाश, प्रशिक्षण और कनिष्ठ-पद-रिजर्व में 10% की कटौती सरकारी व्यय में मितव्ययिता के उपाय के रूप में लागू की गई थी।

मध्य प्रदेश संवर्ग के सेवानिवृत्त आई०ए०एस० तथा आई०पी०एस० अधिकारियों की देय राशि का भुगतान

262. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश संवर्ग के भारतीय पुलिस सेवा तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1994-95 से 1996-97 के दौरान सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों की वर्ष-वार संख्या कितनी-कितनी है;

(ख) इन अधिकारियों के नाम तथा पदनाम क्या-क्या हैं;

(ग) उन सेवानिवृत्त अधिकारियों के नाम क्या-क्या हैं, जिनकी देय राशि का भुगतान उनकी सेवानिवृत्ति के दिन ही कर दिया गया था तथा वे तिथियां कौन-कौन सी हैं, जब इन अधिकारियों को उनकी देय राशि का भुगतान किया था; और

(घ) उन अधिकारियों के नाम क्या-क्या हैं, जिनकी किसी भी देय राशि का भुगतान उनकी सेवा-निवृत्ति पर न किये जाने के लिए आदेश जारी किए गए थे तथा ऐसे आदेश जारी किए जाने और उनकी सेवानिवृत्ति से पहले ऐसी कार्यवाही न किए जाने के क्या-क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०आर० बालासुब्रह्मण्यन): (क) से (घ) चूंकि भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी राज्य संवर्ग के होते हैं अतः यह सूचना संबंधित राज्य सरकारों द्वारा रखी जाती है और केन्द्रीकृत रूप से मॉनीटर नहीं की जाती है।

Ad-hoc Promotion of SC/ST Officers of Central Secretariat Service

263. SHRI SOM PAL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether due representation has been given to SC/ST officers in promotion to Grade-I of Central Secretariat Service, on adhoc basis;

(b) if so, what are the year-wise and category-wise details of Section Officers promoted to Grade-I on ad-hoc basis, from 1987 to June, 1997;

(c) if not, what have been the reasons therefore;

(d) what steps are being taken to make up the shortfall;

(e) whether there have been some judgement of the Supreme Court and directions from the National Commission for SC and ST in this matter; and

(f) if so, the details of their implementation and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI S.R. BALASUBRAMONIYAM): (a) The SC/ST officers have been considered for promotion to Grade I of the Central Secretariat Service (CSS) on an ad-hoc basis on the principle of seniority-cum-fitness in accordance with the general instructions issued by the Government. If the number of such officers found fit within the range of actual vacancies was less than the number of vacancies falling to their share then additional SC/ST officers were located by going down the serniority list but within 5 times the number of vacancies to be filled. This extended zone is exclusive for SC/ST officers only.

(b) The year-wise and category-wise details of Section Officers promoted to grade I on ad-hoc basis on a centralised

4—A—145/MP/RSS/ND/98